

अधोहस्ताक्षरित को उपरोक्त में उल्लेखित विषय पर इस विभाग के ओएम के सम संख्या, दिनांक: 21.01.2013 के तथ्यों का अवलोकन करने एवं यह व्यक्त करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि दिनांक: 21.01.2013 को लिखे डीपीई ओएम 2(23)/11-डीपीई (डब्ल्यूसी) के अनुच्छेद 1(जी) में उल्लेखित प्रावधान को वापस लेने का निर्णय लिया गया है जिसका सम्बन्ध कार्यकारी निदेशक और साधारण प्रबंधक; घटक इकाईयों के इंचार्ज को; जो सीपीएसई के किसी भी परियोजना का नेतृत्व नहीं कर रहा हो, स्टाफ कार की सुविधा आधिकारिक उद्देश्य के लिए प्रदान करने के मामले से है।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2(23)/11-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XXVI/13, दिनांक 04 नवम्बर, 2013)
